संख्या-22/2024/2309/94-1-2024/003-18178624

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,
अनु सचिव।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ०प्र० लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ, दिनांक : 23 दिसम्बर, 2024**

विषय : वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं० 91-राजस्व लेखा, 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 01-स्टाम्प न्यायिक, 102-स्टाम्पों की बिक्री, 03-न्यायिक स्टाम्प, 42-अन्य व्यय के मद में आवंटित धनराशि रू० 10 करोड़ में से रुपये 08 करोड़ मात्र का पुनर्विनियोग अनुदान सं० 91-राजस्व लेखा, 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 01-स्टाम्प न्यायिक, 101-स्टाम्पों की लागत, 03-न्यायिक स्टाम्प, 42-अन्य व्यय के मद में किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-1778/स्टाम्प नासिक प्रेस/2024 दिनांक 19.11.2024 व पत्र सं०-1037/स्टाम्प नासिक प्रेस/2024 दिनांक 09.08.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं० 91-राजस्व लेखा, 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 01-स्टाम्प न्यायिक, 102-स्टाम्पों की बिक्री, 03-न्यायिक स्टाम्प, 42-अन्य व्यय के मद में आवंटित धनराशि रू० 10 करोड़ में से रू० 08 करोड़ मात्र का पुनर्विनियोग अनुदान संख्या 91-राजस्व लेखा, 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 01-स्टाम्प न्यायिक, 101-स्टाम्पों की लागत, 03-न्यायिक स्टाम्प, 42-अन्य व्यय के मद में किये जाने की श्री राज्यपाल निम्न् शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) विभाग द्वारा बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय, मितव्ययिता के आधार पर संगत शासनादेश/नियमों/अनुमन्यताओं के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग के मध्यम से प्राप्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(5) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा विभाग इस का व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते करेंगे।

(6) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदोपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाली ऑडिट आपत्ति हेतु महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय उत्तरदायी होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) यह आदेश वित्त विभाग के आर०ई० संख्या–बजट-1-186, दिनाँक 17.12.2024 में दी गयी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहें हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,00,00,000 (रुपये आठ करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 091 **लेखा शीर्षक** 2030011010300 न्यायिक स्टाप **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिरीक्षक निबन्धयन, उ०प्र० प्रयागराज/लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र० प्रयागराज।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।